राजस्थान सरकार

मा.ला.वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः एफ ( )के.काउन्सिलिंग/2017–18/993

दिनांकः 24–10–2017

निविदा सूचना 02/2017–18

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के अधीन अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी.) में संचालित आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं एंव 12वी के छात्र/छात्राओं को केरियर काउन्सिलिंग कराने हेतु इच्छुक संस्थाओं से निविदाएं (तकनीकी एवं वित्तीय) दिनांक 06–11–2017 को दोपहर 2.00 बंजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रुपयों में)	धरोहर राशि (रुपयों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रुपयों में)
1.	जनजाति आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की केरियर काउन्सिलिंग।	रुपये 9.00 लाख	18,000/–	400/–

निविदा से संबंधित नियम, शर्तें एवं प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in और विभागीय वेबसाईट http://tad.rajasthan.gov.in से डाउलोड किया जा सकता है।

निदेशक

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

निविदा शुल्क–400/– रुपये

निविदा का प्रारुप

1. अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी.) में कैरियर काउन्सिलिंग कार्य (वार्षिक अनुबंध)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पता – ....

संदर्भः–

(अ) निविदा क्रमांकः– एफ (के.काउन्सिलिंग)/2017–18/993 दिनांक : 24–10–2017

(ब) डी. आई पी .आर./

(स) अनुमानित लागत – 9.00 लाख रुपये

3. (अ) निविदा प्राप्त करने की अंतिम दिनांक– 06–11–2017 दोपहर – 2.00 बजे तक

(ब) निविदा खोलने की दिनांक – 06–11–2017 अपरान्ह 3.00 बजे

4. निविदा शुल्क/धरोहर राशि का विवरण :–

(अ) निविदा शुल्क की राशि रुपये 400/– नकद/डीडी नं./पोस्टल नं./ चालान नं....................../बैंक का नाम........................... / दिनांक ....

(ब) धरोहर राशि रुपये 18,000/– नकद/डीडी नं./बैंकर चैक/चालान नं............................. .... बैंक का नाम... दिनांक ....

5. हमने निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों का भली भांति अध्ययन कर लिया है एवं हम पूर्ण रुप से सहमत हैं। हमनें निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

विशेष शर्ते :–

1. अनुसूचित क्षेत्र (T.S.P.) के आवासीय विद्यालय एवं आश्रम छात्रावास में अध्ययनरत कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के 60 प्रतिशत एवं अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों का कॅरियर मार्गदर्शन किया जाना है। एजेन्सी दूर–दराज ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए।
2. अनुसूचित क्षेत्र (T.S.P.) के उदयपुर, डूंगरपुर, बासंवाडा, प्रतापगढ़ जिलों एवं पंचायत समिति, आबूरोड़ जिला सिरोही में योजना संचालित होगी।
3. अनुमानित छात्र संख्या 1000 एवं छात्रावास/आवसीय विद्यालय संख्या लगभग 150 है।
4. विद्यार्थियों से आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में पहुँच कर संपर्क करना होगा।
5. विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सघन कैरियर मार्गदर्शन (One on One handpick Career Guidence) प्रदान करना होगा।
6. छात्रावास प्रभारी (Wardens) का ऑरिएन्टेशन शिक्षकों से संपर्क एवं अभिभावकों से भी संपर्क करना होगा।
7. विद्यार्थियों के Psychometric test से form-filling तक का पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा एवं प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत फाइल तैयार करनी होगी।
8. किये गये कार्य का संपूर्ण रिकॉर्ड रखना होगा एवं पाक्षिक प्रगति तथा आगामी कार्य योजना से निरंतर अवगत करवाना होगा।
9. एजेन्सी को विस्तृत वार्षिक कार्य योजना व प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करना होगा साथ ही निविदा के साथ सलंग्न करनी होगी।
10. पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में एवं अल्प आय वर्ग के लिये किये गये कार्य की उपलब्धि दर्शाते हुए लाभार्थियों के संपर्क सूत्र एवं विवरण देना होगा, जिसका विभागीय टीम निरीक्षण कर सत्यापन करेगी।
11. एजेन्सी के मुख्य पदाधिकारी का Viva-Voice विभागीय टीम द्वारा लिया जायेगा एवं आकलन किया जायेगा।
12. विभागीय टीम द्वारा एजेन्सी की कार्य योजना एवं प्रजेन्टेशन का तकनीकी आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।
13. तकनीकी पक्ष एवं व्यावहारिक पक्ष उत्तम होना, एजेन्सी के चयन का महत्त्वपूर्ण भाग होगा।
14. कॅरियर मार्गदर्शन योजना निम्नानुसार 4 (चार) चरणों में संपादित करनी होगी एवं प्रत्येक चरण के सफल संपादन पर आंशिक भुगतान किया जायेगा।
    - विद्यार्थियों का Psychometric test एवं कार्यशाला
    - One-On-One मार्गदर्शन
    - परीक्षा तैयारी मार्गदर्शन
    - Form Filling में पूर्ण सहयोग
15. Psychometric test के फार्म निविदा के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत करने होगें।
16. अन्तिम चरण का भुगतान विद्यार्थी की उपलब्धि/मूल्यांकन के आधार पर ही किया जायेगा।

कार्य का नाम	**प्रस्तावित दर** **दर प्रति छात्र (समस्त खर्च एवं कर सहित)**
अनुचित क्षेत्र (टी.एस.पी.) में कैरियर काउन्सिलिंग कार्य (उदयपुर, डुँगरपुर, बासंवाडा, प्रतापगढ़ एवं पंचायत समिति आबूरोड़ जिला सिरोही)	

शर्ते :-

1. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।
   1. तकनीकी 2 वित्तीय
   तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
2. किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को कारण बताये बिना अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक संस्थान के पास सुरक्षित हैं।
3. संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है।
4. निविदादाता को निविदा के साथ प्रतिभूति राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जो कि **निदेशक, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान,संभाग उदयपुर** के पक्ष में देय होगा) के रुप में जमा करानी होगी। चैक स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतिभूति राशि के बिना निविदा स्वीकार नहीं होगी।
5. निविदा दाता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से की जाने वाली संयाचना के कारण निविदा अमान्य होगी।
6. निविदा स्वीकृति के पूर्व संस्थान के अधिकृत अधिकारियों को फर्म के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. प्राप्त निविदाओं के आधार पर न्यूनतम स्वीकृत दर पर एक से अधिक फर्मो से भी अनुबंध किया जा सकेगा।
8. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान करते समय स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
9. फर्म सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिका अधिनियम-2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिका नियम 2013 के प्रावधानों को माने जाने हेतु बाध्य है। किसी भी संशय की स्थिति में शंका का निवारण प्रभारी अधिकारी, संस्थान से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
10. सफल निविदा दाता को निर्धारित प्रारुप में रुपये 1,000/- का नोन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक करार निष्पादित करना होगा। निविदा राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति के रुप में राशि जमा करवानी होगी। लिखित में प्रार्थना पत्र देने पर प्रतिभूति राशि धरोहर राशि में समायोजित की जा सकेगी। धरोहर की राशि संविदा के पूर्ण होने की तारीख से दो माह पश्चात् लौटा दी जाएगी।
11. करार विफल होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. लघु उघोग इकाई के रुप में पंजीकृत फर्मो को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट देय है।
13. निविदाएं निर्धारित प्रारुप में बन्द लिफाफे में स्वीकार की जायेगी। लिफाफे पर निविदा कार्य का नाम, निविदा संख्या एवं फर्म का नाम पूर्ण पता व फोन नं. स्पष्ट रुप से अंकन करे।
14. निविदाएं खोलने बेचने की दिनांक को अवकाश होने की स्थिति में निविदाएं अगले कार्यदिवस को खोली/बेची जावेगी।
15. निविदा स्याही से भरी जानी चाहिए। पेसिंल से या अन्यथा भरी निविदा पर विचार नही किया जाएगा। निविदा में परिवर्तन अथवा परिवर्धन स्वीकार नही किया जाएगा। किसी भी अन्य स्थान पर किये गये अपरलेखन(कंटिग) पर सूक्ष्म हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। प्रस्तावित दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रुप से अंकित की जावें।
16. निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरों में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के करों का पृथक से उल्लेख न होने पर समस्त करों का दायित्व निविदादाता का होगा।
17. किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र उदयपुर शहर स्थित न्यायालय होगा।
18. मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों/सलंग्न शर्तो एवं निर्देशो को पढ़कर समझ लिया हैं एवं उपरोक्त शर्तो से पूर्ण रुप से सहमत हूँ/हैं जिसके प्रमाण में मैंने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर